परिपत्र सं. 06/06/2017 – सीजीएसटी

फा0 सं0 354/149/2017-टीआरयू

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (समस्त)/ प्रणाली महा निदेशक

महोदया / महोदय,

विषय: लाटरी टिकट का वर्गीकरण और उनपर जीएसटी की दर से संबंधित विषय की बाबत ।

लाटरी की आपूर्ति को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत किसी माल की आपूर्ति माना जाता है ।

2. तदनुसार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर लाटरी की आपूर्ति से संबंधित जीएसटी की दर को सीजीएसटी /एसजीसीटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी से संबंधित जीएसटी दर की अधिसूचनाओं में अधिसूचित कर दिया गया है। हालांकि संबंधित अधिसूचनाओं में दी गई प्रविष्टियों में लाटरी का वर्गीकरण ''-'' के रूप में किया गया है ।

3. इस संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि आबंटित कोड में विसंगति होने के कारण , क्योंकि लाटरी को एक वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसे जो कोड मिला वो सेवा के अंतर्गत है, अत: इसके कार्यकर्ता समय से रिर्टन समय से न तो अपलोड कर पाते हैं और न ही जमा कर पाते हैं ।

4. इस मामले पर विचार किया गया है I यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के कर की दर से सम्बंधित है I और यह भी स्पष्ट है कि लाटरी टिकट के कर की दर स्पष्ट है I जैसा कि ऊपर लिखा गया है जीएसटी लाटरी एक वस्तु है और इसका वर्गीकरण लाटरी की अधिसूचनाओं में ''-'' के रूप में किया गया है जो कि कोई भी अध्याय माना जा सकता है ।

5. इस तरह से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सीजीसीटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, से संबंधित अधिसूचनाओं में लाटरी का वर्गीकरण कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम

अनुसूची के 'किसी भी अध्याय ' के रूप में किया गया है और तदनुसार लाटरी पर कर का भुगतान कर के भुगतान के लिए 12 प्रतिशत या 28 प्रतिशत , जैसी भी स्थिति की दर निर्दिष्ट की गई गई है ।

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार (टीआयू)

Circular No.06/06/2017-CGST

F. No. 354/149/2017-TRU
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax Research Unit
*****

New Delhi, the 27th August, 2017

To,

The Principal Chief Commissioner/Chief Commissioners/ Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax (All) / Director General of Systems

Madam/Sir,

Subject: - <u>Issue related to classification and GST rate on lottery tickets – regarding</u>

Supply of lottery has been treated as supply of goods under the Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017.

2. Accordingly, based on the recommendation of the GST Council, the GST rate for supply of lottery has been notified under relevant GST rate notification relating to CGST/IGST/UTGST/SGST. However, entries in the respective notifications mention classification for lottery as "-".

3. In this connection, references have been received, *inter-alia,* stating that due to discrepancy in code allotted, i.e., lottery is defined as goods but code allotted for lottery is under services, the assessees are not able to upload return or deposit tax in time.

4. The matter has been examined. It should be noted that the process of filing return is linked with rate of tax specified for supply. Further, there is complete clarity about rate of tax on lotteries. As mentioned above, in GST, lottery is goods and the classification indicated in relevant notification for lottery is "-", which means any chapter.

5. That being so, it is clarified that the classification for lottery in respective CGST, IGST, UTGST and SGST notifications shall be 'Any Chapter' of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and tax on lottery should be paid accordingly at prescribed rates, 12% or 28%, as the case may be.

(Ruchi Bisht)
Under Secretary (TRU)